Common Recruitment Rules for the post of Directors of National Institutes under DEPwD

Sn.	Description	Recruitment Rules
1.	Name of the Post	Director, …. (Name of the National Institute)
2.	Number of Posts	09 (Nine) (01 in each National Institute)
3.	Classification	Group 'A'
4.	Pay Scale/ Pay Level in the Pay Matrix (as per 7th CPC)	**For Deputation:** Level 13 in the Pay Matrix (₹1,23,100/- to ₹2,15,900/-) **For Contract:** Consolidated remuneration of ₹1,75,000/- per mensem with provision of annual increment @3.00%.
5.	Whether Selection post or non- selection post	Selection
6.	Age limit for Direct Recruits	Not Applicable
7.	Educational and other Qualifications required for Direct Recruits	Not Applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotion	Post is to be filled on Deputation/ Contract. **Maximum age** for applying for Deputation/ Contract will be **56 years.** (Age shall be reckoned as on closing date of receipt of applications)
9.	Period of probation, if any	Not Applicable
10.	Method of recruitment, whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation or by Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods of appointment	The Recruitment Process will comprise of both the methods **Deputation/ Contract.** Applications will be invited together; however, contractual mode of selection will be subject to **non-suitability** of candidate on **Deputation**.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation, Level in the pay matrix from which promotion/ deputation to be made	**(A) For Deputation:** - Officers under Central/ State Govt./ Universities/ Public Sector Undertakings/ Autonomous / Statutory Organizations; Drawing Pay in Pay Scale/ Level- 13 of Pay matrix as per 7th CPC or equivalent grade and minimum 5 years' experience in research or rehabilitation or administration in any field, preferably in the field of Disability; **OR** With 5 years' regular service in any grade drawing Salary in the Pay Scale/ Level- 12 of the Pay matrix as per 7th CPC or equivalent grade

		and 5 years' experience in research or rehabilitation or administration in any field, preferably in the field of Disability; **OR** With 8 years' regular service in any grade drawing Salary in the Pay Scale/ Level- 11 of the Pay matrix as per 7th CPC or equivalent grade and 5 years' experience in research or rehabilitation or administration in any field, preferably in the field of Disability; **AND** **Possessing following Qualifications: -** **Essential Qualifications and Requirements: -** Post Graduate Degree in any discipline, preferably in Special Education or Rehabilitation from a recognized University/ Institution with minimum 55% marks or equivalent grade. **Desirable Qualifications: -** Ph. D. in any discipline **(B) For Contract: -** 15 Years' experience of research or rehabilitation or administration in any Government/ Registered Non-Government/ Entity Organization/ Company, preferably in the field of Disability; AND The applicant should be drawing a minimum CTC (Cost to Company) of Rs. 6,00,000/- per annum, **for last five years**. **Possessing following Qualifications: -** **Essential Qualification and other requirements: -** Post Graduate Degree in any discipline, preferably in special education or rehabilitation from a recognized University/ Institution with minimum 55% marks or equivalent grade. **Desirable Qualifications: -** Ph. D in any discipline.
12.	If a Departmental Promotion Committee (DPC) exists, the composition of DPC	Selection Committee Chaired by the Secretary, DEPwD, 2 Members from the Department i.e. Addl. Secretary/ Joint Secretary in-charge of NIs and Director in-charge of NIs and 2 JS Level Officers from Ministry of Education, Ministry of Health (and Family Welfare) and 2 experts from any Institutions working in the field of Mental Health, Health or Education e.g. AIISH Mysuru, AIIMS Delhi, DGHS, NIMHANS Bengaluru, (Total 7 Members) will be constituted with the approval of the Minister, SJ&E. on each occasion of Recruitment to any/ all posts of Director, National Institute.
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making Recruitment.	Not Applicable in respect of Autonomous Bodies

*** Tenure will be initially for a period of 03 years and thereafter extendable upto maximum of 05 years subject to applicability as per DoPT norms.*

***

राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक पद के लिए सामान्य भर्ती नियम

क्र. सं.	विवरण	भर्ती नियम
1.	पद का नाम	निदेशक, ……… (राष्ट्रीय संस्थान का नाम)
2.	पदों की संख्या	09 (नौ), प्रत्येक राष्ट्रीय संस्थान में 01 पद
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान / वेतन स्तर (7वें CPC के अनुसार)	**प्रतिनियुक्ति: 7वें CPC के अनुसार पे मैट्रिक्स में लेवल-13** (₹1,23,100/- से ₹2,15,900/-) **संविदा:** ₹1,75,000/- प्रति माह समेकित पारिश्रमिक, जिसमें 3% वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है।
5.	चयन/गैर-चयन पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	लागू नहीं
8.	पदोन्नति के मामले में आयु एवं शैक्षणिक योग्यता	पद प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर भरा जाएगा। आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष होगी। आयु की गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी।
9.	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की विधि, अर्थात् सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न नियुक्ति विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	भर्ती प्रक्रिया में प्रतिनियुक्ति/संविदा, दोनों विधियाँ शामिल होंगी। दोनों के लिए एक साथ आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। हालांकि, संविदा के माध्यम से चयन तभी किया जाएगा जब प्रतिनियुक्ति के लिए कोई उम्मीदवार उपयुक्त न पाया जाए।
11.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, वेतन मैट्रिक्स में वह स्तर जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति की जानी है।	(क) प्रतिनियुक्ति के लिए: - केंद्र/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत्त/ सांविधिक संगठन के अधीन कार्यरत अधिकारी, जो सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-13 अथवा समकक्ष ग्रेड में वेतन प्राप्त कर रहे हों तथा उनके पास किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान अथवा पुनर्वास अथवा प्रशासन के क्षेत्र में, अधिमानतः दिव्यांगता के क्षेत्र में कुल 05 वर्ष का अनुभव हो;

अथवा

जिन्होंने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 अथवा समकक्ष ग्रेड में 05 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो तथा उनके पास किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान अथवा पुनर्वास अथवा प्रशासन के क्षेत्र में, अधिमानतः दिव्यांगता के क्षेत्र में कुल 05 वर्ष का अनुभव हो;

अथवा

जिन्होंने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -11 अथवा समकक्ष ग्रेड में 08 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो तथा उनके पास किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान अथवा पुनर्वास अथवा प्रशासन के क्षेत्र में, अधिमानतः दिव्यांगता के क्षेत्र में कुल 05 वर्ष का अनुभव हो;

तथा

निम्नलिखित शैक्षणिक एवं अन्य अपेक्षित योग्यताएँ रखते हों :-

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं और आवश्यकताएं:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में, अधिमानतः विशेष शिक्षा अथवा पुनर्वास के क्षेत्र में, न्यूनतम 55% अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर डिग्री ।

वांछनीय योग्यताएं:- पीएच.डी. (किसी भी विषय में)।

(ख) संविदा के लिए:- किसी सरकारी/पंजीकृत गैर-सरकारी संस्था/संगठन/कंपनी में अनुसंधान अथवा पुनर्वास अथवा प्रशासन के क्षेत्र में, अधिमानतः दिव्यांगता के क्षेत्र में कुल 15 वर्ष का अनुभव;

तथा

आवेदक पिछले पाँच वर्षों से न्यूनतम ₹6,00,000 प्रति वर्ष का कॉस्ट टू कंपनी (CTC) प्राप्त कर रहा हो।

तथा

निम्नलिखित शैक्षणिक एवं अन्य अपेक्षित योग्यताएँ रखते हों :-

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं और आवश्यकताएं:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में, अधिमानतः विशेष शिक्षा अथवा पुनर्वास के क्षेत्र में, न्यूनतम 55% अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।

वांछनीय योग्यताएं:- पीएच.डी. (किसी भी विषय में)।

12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) का गठन किया गया है, तो विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	प्रत्येक अवसर पर राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक के एक या सभी पदों पर भर्ती हेतु, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से निम्नलिखित 7 सदस्यीय चयन समिति गठित की जाएगी: (i) सचिव, DEPwD — अध्यक्ष (ii) विभाग से 2 सदस्य – NIs के प्रभारी अपर सचिव/संयुक्त सचिव तथा NIs के प्रभारी निदेशक (iii) शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से JS स्तर के 2 अधिकारी (iv) मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य या शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों से 2 विशेषज्ञ, जैसे AIISH मैसूर, AIIMS दिल्ली, DGHS, NIMHANS बेंगलुरु आदि।
13.	भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से परामर्श किए जाने की परिस्थितियाँ	स्वायत्त निकायों के संबंध में लागू नहीं।

** नियुक्ति प्रारंभ में **03 वर्ष** के लिए होगी तथा इसके बाद **अधिकतम 05 वर्ष** तक बढ़ाई जा सकेगी, जो DoPT के लागू मानदंडों के अधीन होगी।

***